संख्या– 500 /59–2–2012–18(खा)/09

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय–मु०का०अ०
डायरी संख्या 403
दिनाँक 16-8-12

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक– 7 अगस्त, 2012

विषय –: सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 829/खा0ग्रा0बो0/प्रशिक्षण–सामान्य/2012–13, दिनांक 26 जुलाई, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना, "सामान्य" आयोजनेत्तर हेतु शासनादेश संख्या 249/59–2–2012–18(खा)/2009, दिनांक–18 मई, 2012 के अनुक्रम में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 72.00 लाख (रुपये बहत्तर लाख मात्र) मे से अवशेष माहों के लिए धनराशि रु0 48.00 लाख (रुपये अड़तालीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर संलग्नक फाट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बीएम–08 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 को उपलब्ध कराया जाये।
3. उक्त स्वीकृति धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जॉच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. निदेशक, द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारुप पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध हो जाये।
5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–05 के लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी

ग्रामोद्योग–26–कौशल सुधार प्रशिक्षण–44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09.07.2012 में की गई व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 500 (1)/59–2–2012/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1.
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-500/59-2-2012, दिनांक 7/8/ 2012 का संलग्नक
वर्ष 2012-13 में चार माह के लिए कौशन सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य मद अनुदान सं0-05 हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय स्वीकृति

कमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ	5.00	125
2	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	4.00	100
3	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	3.00	75
4	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद	5.00	125
5	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	3.00	75
6	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	3.00	75
7	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, काल्पी, जालौन	8.00	200
8	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहाँपुर	4.00	100
9	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिंग, मथुरा	5.00	125
10	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	8.00	200
	योग =	48.00	1200

(रुपये अड़तालीस लाख मात्र)

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव